प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

5 अगस्त 2026

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य विनियमों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है:

1. शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लाइसेंसीकरण के लिए मसौदा दिशा-निर्देश

नए लाइसेंस जारी करने पर दो दशकों के विराम के बाद, हितधारकों की प्रतिक्रिया हेतु 13 जनवरी 2026 को यूसीबी के लाइसेंसीकरण पर एक चर्चा पत्र प्रकाशित किया गया था। प्रतिक्रिया के विश्लेषण के आधार पर, यूसीबी के लाइसेंसीकरण को 'ऑन टैप' आधार पर पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मसौदा दिशा-निर्देश शीघ्र ही हितधारकों के परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे।

2. संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन पर दिशानिर्देशों की समीक्षा - ग्रामीण सहकारी बैंक

ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन पर विवेकपूर्ण मानदंड, वर्ष 2008 में जारी किए गए ऋण निगरानी व्यवस्था (सीएमए) अनुदेशों द्वारा संचालित हैं। चूंकि तत्पश्चात बैंकिंग क्षेत्र में सामान्यतः और विशेष रूप से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार एवं परिवर्तन हुए हैं, अतः एक सजीव सहकारी क्षेत्र के विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा संकेंद्रित उधार से उत्पन्न होने वाले विवेकपूर्ण चिंताओं का समाधान करते हुए, इन अनुदेशों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में हितधारकों की व्यापक टिप्पणियों हेतु मसौदा संशोधन निदेश जारी किए जा रहे हैं।

3. अग्रिमों पर ब्याज दर संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रस्ताव है कि वह सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए ब्याज दरों से संबंधित विनियामक ढांचे को सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण के आधार पर युक्तिसंगत बनाए। प्रस्तावित युक्तिकरण का उद्देश्य है: (i) आनुपातिकता बनाए रखते हुए आरई के बीच दिशा-निर्देशों को समरूप बनाना; (ii) एमसीएलआर और ईबीएलआर पर वर्तमान ढांचे के कुछ परिचालनगत पहलुओं का समाधान करना; और (iii) दिनों की गिनती का तरीका और बेंचमार्क रीसेट की तारीखों सहित ब्याज प्रभारण से संबंधित कतिपय भिन्न बाजार प्रथाओं को मानकीकृत करना। ये उपाय एकरूपता सुनिश्चित करने, ऋण मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाने, मौद्रिक प्रसार को सुदृढ़ करने और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए हैं। इन प्रस्तावों को शामिल करते हुए मसौदा निदेश जन- सामान्य की टिप्पणियों के लिए शीघ्र जारी किए जाएंगे।

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/811